प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक–1578/1996

सुरेंद्र तिवारी

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य(वर्तमान में छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील क्रमांक–1694/1996

बलिराम सिंह और अन्य

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य(वर्तमान में छत्तीसगढ़)

दांडिक अपील क्रमांक–1736/1996

सुरेंद्र सिंह और अन्य

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य(वर्तमान में छत्तीसगढ़)

<u>दांडिक अपील क्रमांक–1738/1996</u>

रविरंजन कुमार सिंह

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य(वर्तमान में छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दांडिक अपील क्रमांक–1884/1996</u>

मोहन सिंह

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य(वर्तमान में छत्तीसगढ़)

और

<u>दांडिक अपील क्रमांक–2347/1996</u>

राजकुमार उर्फ़ शिवजी सिंह और अन्य

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य(वर्तमान में छत्तीसगढ़)

<u>**उपस्थिति**</u>

दांडिक अपील क्रमांक-1578/1996 में अपीलार्थी की ओर से:–श्री वी.के पाण्डेय, अधिवक्ता

दांडिक अपील क्रमांक- 1694 /1996 एवं दांडिक अपील क्रमांक- 2347/1996 में अपीलार्थीगण की ओर से :– श्री सुरेंद्र सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री नीरज मेहता अधिवक्ता

दांडिक अपील क्रमांक- 1736 /1996 में अपीलार्थी की ओर से :– श्रीमती सविता तिवारी ,अधिवक्ता

दांडिक अपील क्रमांक- 1738 /1996 में अपीलार्थी की ओर से:– श्री श्री विष्णु कोष्टा , अधिवक्ता

दांडिक अपील क्रमांक- 1884 /1996 में अपीलार्थी की ओर से:– श्री एम. डी धोते , अधिवक्ता

राज्य/ उत्तरवादी की ओर से :- श्री यू. एन. एस. देव अतिरिक्त लोक अभियोजक, सहित श्री रविंद्र अग्रवाल पैनल अधिवक्ता

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, अंबिकापुर की ओर से:- श्री यशवंत तिवारी अधिवक्ता, सहित श्री अमियकांत तिवारी अधिवक्ता

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युगलपीठ

माननीय न्यायाधीश श्री एल.सी.भादू एवं

माननीय न्यायाधीश श्री धीरेन्द्र मिश्रा

निर्णय

(2 मार्च 2006 को घोषित)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी भादू द्वारा घोषित किया गया है-

1. सुरेन्द्र तिवारी द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक- 1578/1996; बलिराम सिंह और संजय कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक- 1694/1996; सुरेन्द्र सिंह और देवमुनि बाई द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक- 1736/1996; रविरंजन कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक- 1738/1996; मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक- 1884/1996 और राज कुमार उर्फ शिवजी सिंह, गौरीशंकर सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह और अरविंद सिंह द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक- 2347/1996 का निराकरण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये सभी अपीलें प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक- 245/95 में पारित निर्णय दिनांक 9-9-1996 से उदभूत हुई हैं तथा दिनांक 28-4-1995 को घटित उसी घटना से उदभूत भी हुई हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, के देवीगंज रोड, अंबिकापुर स्थित शाखा में डकैती कारित किया गया था ।

2. ये दांडिक अपीलें अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक– 245/95 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश दिनांक 9–9–1996 की वैधता और सत्यता को प्रश्नगत करते हुए प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके तहत विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने उन्हें निम्नानुसार दोषी ठहराया और दंडादेश दिया :–

राजकुमार सिंह गौरीशंकर सिंह अरविन्द सिंह देवेंद्र सिंह और रविरंजन सिंह	भारतीय दंड संहिता की धारा–450	10 वर्ष का सश्रम कारावास
	भारतीय दंड संहिता की धारा 395 सहपठित धारा 397	प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास
	भारतीय दंड संहिता की धारा 120 – ख	प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास
	आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27	प्रत्येक अभियुक्त को प्रत्येक शीर्ष में 3 वर्ष का सश्रम कारावास
सुरेंद्र सिंह और संजय सिंह	भारतीय दंड संहिता की धारा 120 – ख	प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास
	भारतीय दंड संहिता की धारा 412	प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास
	आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27	प्रत्येक अभियुक्त को प्रत्येक शीर्ष में 3 वर्ष का सश्रम कारावास
मोहन सिंह बलिराम सिंह देवमुनि बाई	भारतीय दंड संहिता की धारा 120– ख	प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास
	भारतीय दंड संहिता की धारा 412	प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास
सुरेंद्र तिवारी,	भारतीय दंड संहिता की धारा 120–ख	आजीवन कारावास
	भारतीय दंड संहिता की धारा 201	3 वर्ष का सश्रम कारावास

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आगे निर्देश दिया कि प्रत्येक अभियुक्त को दी गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक अभियुक्त की निरोध की अवधि को उन पर अधिरोपित दंडादेश से मुजरा (समायोजित) किया जाये ।

(3) अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 28-4-1995 को दोपहर लगभग 12.35 बजे दोपहर अभियुक्तगण राज कुमार सिंह, गौरीशंकर सिंह, अरविंद सिंह, देवेंद्र सिंह एवं रविरंजन सिंह ने देवीगंज रोड, अंबिकापुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा जो प्रथम तल पर स्थित था, में बंदूक की नोक पर डकैती कारित किया तथा कुल 6,37,560/- रूपये की लूट कारित किया। ये अभियुक्तगण देशी कट्टे से सुसज्जित होकर बैंक में प्रवेश किये तथा उनके एक सहयोगी ने बैंक के मुख्य विद्युत धारा स्विच को बंद कर दिया, फिर भी वहां प्राकृतिक प्रकाश था। आरोपी अरविंद सिंह रोकड़ पटल (कैश काउंटर) पर बैठे विपिन किशोर लकड़ा (अ.सा-1) के पास पहुंचा और पिस्तौल की नोंक पर उसे सीट से उठकर हॉल में आने को कहा। इसके बाद आरोपी अरविंद सिंह ने पिस्तौल की नोंक पर एक अन्य कैशियर श्रीमती ममता चक्रवर्ती (अ.सा-2) को भी हॉल में ले गया। उस समय शाखा प्रबंधक सुरेश कुमार अग्रवाल (अ.सा-10) अपने कक्ष (चेम्बर) में विजय जायसवाल नामक व्यक्ति के साथ बैठे थे। आरोपी राज कुमार सिंह देशी पिस्तौल से सुसज्जित होकर शाखा प्रबंधक के कक्ष में प्रवेश किया और उन्हे भी हॉल में जाने को कहा। जब सुरेश कुमार अग्रवाल ने फोन करने की कोशिश की तब अभियुक्त राज कुमार सिंह ने उनका कॉलर पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए उनके कक्ष (चेम्बर) से मुख्य हॉल में ले गया। वहां पहले से ही देशी पिस्तौल से सुसज्जित तीन डकैत लोगों को घेरे हुए खड़े थे। सुरेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त रविरंजन सिंह बैंक के मुख्य द्वार पर खड़ा था। जब अभियुक्त गौरीशंकर सिंह ने सुरेश अग्रवाल से स्ट्रांग रूम के बारे में पूछा तब उसने बताया कि स्ट्रांग रूम भू- तल (ग्राउंड फ़्लोर) पर स्थित पर है। जब गौरीशंकर सिंह ने चाबी मांगी तो सुरेश अग्रवाल ने बताया कि चाबी उसके पास नहीं है। इस पर गौरीशंकर ने पिस्तौल के बट से सुरेश अग्रवाल के सिर पर वार कर दिया, जिससे सिर पर चोट लगी तथा चोट से काफी खून बहने लगा। इसी बीच अभियुक्त देवेन्द्र सिंह व अरविन्द सिंह कैश काउंटर की

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ओर गए तथा नोटों की गड्डियां उठाकर हरे रंग के बैग में भर लिया। जब अभियुक्तगण सुरेश कुमार अग्रवाल के साथ स्ट्रांग रूम की ओर जाने लगे तब एक अभियुक्त ने सुरेश कुमार को धमकी दी कि उसे गोली मार दिया जायेगा, जिससे वह डर गया, इसी बीच अभियुक्त जो मुख्य द्वार पर खड़ा था, चिल्लाने लगा कि दो व्यक्ति बाहर चले गए हैं। यह सुनकर अभियुक्तगण लूटे गए नोटों लेकर घटनास्थल से भाग गए।

4. संयोग से प्रधान आरक्षक सईद हुसैन (अ.सा-5) डायरी खरीदने के लिए ज्ञानोदय स्टेशनरी पुस्तक की दुकान पर मौजूद थे। जब उन्होंने बैंक में शोर सुना तो उन्होंने अपना स्कूटर रोका और देखा कि दो व्यक्ति देशी पिस्तौल से गोलियां चलाते हुए बैंक से निकलकर मोटरसाइकिल पर बैठे, इसी बीच तीसरा व्यक्ति भी आया, वह भी मोटरसाइकिल पर बैठ गया और वे तीनों मोटरसाइकिल से घटनास्थल से फरार हो गये। सईद हुसैन ने स्कूटर से उनका पीछा किया। संगम चौक पर उन्हें मध्य प्रदेश शासन की आपूर्ति विभाग की जीप मिली, उसने जीप रुकवाया और वह ड्राइवर सीट पर बैठ गया और उक्त जीप से मनेन्द्रगढ़ रोड की ओर डकैतों का पीछा करना शुरू किया। जीप में गणेश सिंह (अ.सा-7) भी था। जब आरोपीगण पंजाब गार्डन के पास पहुंचे तब उन्होंने देशी पिस्तौल से जीप पर गोली चलाई, जो जीप के दोनों हेड लाइट के बीच में लगी। आरोपीगण ग्राम महावीरपुर की ओर जाने वाली कच्ची सड़क की ओर मुड़ गए। कुछ दूर जाने के बाद मोटरसाइकिल फिसल गई और तीनों आरोपीगण नीचे गिर गए तथा पैदल ही जंगल की ओर भागने लगे। इसी बीच पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर की जिप्सी जीप भी आ गई, सईद हुसैन ने उन्हें अभियुक्तगणों की लोकेशन के बारे में सूचित किया। अभियुक्तगणों जो मोटरसाइकिल पर बैठे थे,वे राज कुमार सिंह, अरविंद सिंह तथा देवेंद्र सिंह थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. बैंक कर्मचारियों एवं ग्राहकों की चीख पुकार सुनकर किसी ने थाना अंबिकापुर में फोन करके बताया कि बैंक में डकैती हुई है, जिस पर सहायक उपनिरीक्षक दुर्योधन बंजारे (अ.सा–23) अपने स्टाफ के साथ बैंक पहुंचे और शाखा प्रबंधक सुरेश कुमार अग्रवाल से मिले जिन्होंने शिकायत (प्रदर्श पी–8) दर्ज करवाया और उस शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–38) पंजीबद्ध किया गया।

सुरेश अग्रवाल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा गया जहां डॉ. अशोक कुमार बंसल (अ.सा–14) द्वारा उनका परीक्षण किया गया और जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी–24) तैयार किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर ने विपिन किशोर कुजूर (अ.सा–25) के साथ जीप से डकैतों का पीछा करना शुरू किया, जीप में लगे वायरलेस पर उन्हें सूचना मिली कि डकैत महावीरपुर की ओर भाग गए हैं। महावीरपुर गांव पहुंचने पर उन्हें ग्रामीणों से पता चला कि डकैत गांव से 3 किलोमीटर आगे पिलखा पहाड़ की ओर भाग गए हैं, वहां एक मोटरसाइकिल पड़ी मिली, जिसे पुलिस ने प्रदर्श पी–18 के तहत कब्ज़े में लिया और वे आगे बढ़ गए। पुलिस दल और डकैतों के बीच कुछ मुठभेड़ हुई, वहां डकैतों में से एक गौरी शंकर सिंह को पकड़ लिया गया और उसके पास से 80,000/– रुपये के नोट, एक 315 बोर का देशी पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद किए गए और प्रदर्श पी–20 के तहत कब्जे में ले लिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. प्रधान आरक्षक कांति प्रसाद (अ.सा–16) ने डकैत रविरंजन सिंह को पिलखा पहाड़ी के पास पकड़ा और एक देशी पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस के साथ 70,000/– रुपये के करेंसी नोट बरामद किए, जिन्हें प्रदर्श पी–9 के तहत कब्जे में ले लिया गया।

7. उपनिरीक्षक एन.पी. उपाध्याय (अ.सा–26) जो न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर के न्यायालय में एक मामले में गवाही दे रहे थे,वे भी जीप से मनेन्द्रगढ़ रोड की ओर निकले, उन्हें वायरलेस से पता चला कि पुलिस अधीक्षक भी मनेन्द्रगढ़ रोड की ओर जा रहे हैं, वे पुलिस अधीक्षक के साथ महावीरपुर रोड की ओर बढ़े, उन्हें एक मोटरसाइकिल मिली। उन्हें ग्रामीणों ने बताया कि डकैतों ने प्रश्नगत मोटरसाइकिल छोड़ दिया और वे जंगल की ओर भाग गए हैं। मोटरसाइकिल,एक मिलिट्री कलर का बैग,एक अन्य बैग, एक ताला और एक चाबी को प्रदर्श पी–22 के तहत कब्जे में लिया गया। इसके बाद, वे आगे बढ़े और आरोपी अरविंद सिंह को पकड़ा। तलाशी लेने पर, एक देशी पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस और 50 और 100 रुपये के करेंसी नोट प्रदर्श पी–6 के तहत कब्जे में लिया गया। उसी समय, डकैतों ने गोलीबारी शुरू कर दी और एन.पी. उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और आरक्षक जगजीवन राम घायल हो गए। जब एन.पी. उपाध्याय आगे बढ़ रहे थे, तो उन्हें एक घायल व्यक्ति डकैत देवेंद्र सिंह मिला और उसके पास से उन्होंने एक देशी पिस्तौल,

5 जिंदा कारतूस, 70,000/– रुपये और एक पासबुक बरामद किया, जिसे प्रदर्श पी–23 के तहत कब्जे में ले लिया गया। पूछताछ करने पर डकैत देवेंद्र सिंह ने बताया कि राज कुमार सिंह भाग गया है। जब पुलिस पार्टी सड़क पर आई, तो लोगों ने उन्हें बताया कि एक व्यक्ति जयनगर की ओर भागा है। अरविंद सिंह को वहां बुलाया गया। आरोपी अरविंद सिंह और देवेंद्र सिंह ने बताया कि पूनम लॉज के मालिक सुरेंद्र सिंह और देवमुनि बाई भी डकैती में शामिल थे। हीरामणि गौतम (अ.सा–20) और अन्य लोग पूनम लॉज पहुंचे, जहां से वे सुरेंद्र सिंह के घर गए और आरोपी सुरेंद्र सिंह से 86,700/– रुपये, एक देशी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस प्रदर्श पी–32 के तहत कब्जे में लिया गया। आरोपी देवमुनि बाई से 78,619/– रुपये की रकम जिस पर बैंक ऑफ बड़ौदा की मुद्रा (मोहर) लगी हुई थी, बरामद किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. भूधर प्रसाद द्विवेदी (अ.सा–18), थाना प्रभारी, थाना जयनगर, को जब दोपहर 2.30 से 3 बजे के बीच वायरलेस से डकैती की जानकारी मिली तब उन्होंने गश्त और वाहनों की जांच शुरू किया। रात लगभग 8:35 बजे जब उन्होंने शारदा बस सर्विस की बस को रोका और जांच किया तब आरोपी राज कुमार सिंह बस में बैठा मिला और उसके पास से बैंक से लूटे गए 70,000 रुपए के नोट, एक देशी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया और उन्हें प्रदर्श पी–21 के तहत कब्जे में लिया गया। बी.पी. द्विवेदी (अ.सा.–18) को यह भी पता चला कि अभियुक्त मोहन सिंह के घर में भी कुछ अभियुक्त बैठे हुए हैं। अभियुक्त मोहन सिंह के घर में छापेमारी करने पर अभियुक्त संजय सिंह, बलिराम सिंह और मोहन सिंह मिले। अभियुक्त संजय सिंह के पास से 55,000/– रूपये, एक देशी पिस्तौल और चार कारतूस बरामद कर प्रदर्श पी–30 के तहत कब्जे में लिया गया। अभियुक्त बलिराम सिंह से प्रदर्श पी–31 के तहत 20,000/–रूपये बरामद किया गया तथा अभियुक्त मोहन सिंह से प्रदर्श पी के तहत 20,000/– रूपये बरामद किया गया।

9. अभियुक्तगण डकैतों द्वारा बैंक में छोड़ी गई एक जोड़ी चप्पल को प्र.पी.–36 के तहत कब्जे में लिया गया। सहेली स्टोर के सामने सड़क पर पड़े 50 रुपये के नोटों से भरा एक बैग प्र.पी.–37 के तहत कब्जे

में लिया गया। बैंक की सीढ़ियों से डकैतों की एक चप्पल प्र.पी.–39 के तहत कब्जे में लिया गया। 5 रुपये और 10 रुपये के नोट, जो बैंक के फर्श पर पड़े थे, उन्हें कब्जे में लिया गया।

10. एन.पी. उपाध्याय (अ.सा–26) ने शाखा प्रबंधक सुरेश कुमार अग्रवाल (अ सा.–10) के रक्त रंजित कपड़े भी प्र.पी–3 के तहत अपने कब्जे में लिया तथा नमूना रक्त, जो बैंक के फर्श पर पड़ा था, को भी प्र.पी.–5 के तहत अपने कब्जे में लिया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के पते को प्र.पी–7 के तहत सत्यापित कराया गया ।

11. घायल पुलिस दल की जांच डॉ. अशोक कुमार जायसवाल (अ.सा–15) द्वारा किया गया तथा उन्होंने चोट संबंधी प्रतिवेदन प्रदर्श.पी–25, पी–26, पी–27 एवं पी–28 तैयार किया। अभियुक्तगण की पहचान कार्यवाही अतिरिक्त तहसीलदार श्रीमती शकुंतला शरण (अ.सा–4) द्वारा कराया गया तथा मेमोरेंडम प्रदर्श पी–1 तैयार किया गया जिसमें अभियुक्त रविरंजन सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह, अरविंद सिंह, राज कुमार सिंह एवं गौरी शंकर सिंह की सही पहचान सुरेश कुमार अग्रवाल (अ.सा–10), रघुनाथ शरण बाजपेयी (अ.सा–6), विपिन किशोर लकड़ा (अ.सा–1), श्रीमती ममता चक्रवर्ती (अ.सा–2) एवं सत्यनारायणन द्वारा किया गया। बरामद की गई वस्तुओं को प्रदर्श पी–57 के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला,सागर भेजा गया । हस्तलेख एवं हस्ताक्षर को प्रदर्श पी–58 के माध्यम से हस्तलेख विशेषज्ञ, भोपाल भेजा गया । अभियुक्तगण के पास हथियार रखने का अनुज्ञाप्ति नहीं था, इसलिए, उनके विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) से प्र.पी.–59 के माध्यम से प्राप्त किया गया, एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र.पी–60 और पी–61 प्राप्त किया गया।

12. अन्वेषण पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर को उपार्पित किया, जहाँ से मामला विचारण हेतु विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ।

13. अभियोजन पक्ष ने कुल 27 गवाहों का परीक्षण कराया है। दूसरी ओर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्तगण का कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से इनकार किया और अपने बचाव में पंचम पांडे (ब.सा–1), त्रिवेणी सिंह (ब.सा–2),

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तम सिन्हा (ब.सा–3), प्रदीप नौटियाल (ब.सा–4), मनोज सिंह (ब.सा–5), शिवजी मिश्रा (ब.सा–6), उमाशंकर ओझा (ब.सा–7) और सुधीर पांडे (ब.सा–8) का परीक्षण कराया है।

14. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपर लोक अभियोजक और अभियुक्तगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के बाद इस निर्णय के कंडिका–2 में उल्लिखित रीति से प्रत्येक अभियुक्त को सिद्धदोष किया और दंडादेश पारित किया ।

15. हमने अभियुक्त/अपीलार्थीगण बलिराम सिंह, संजय कुमार सिंह, राज कुमार उर्फ शिवजी सिंह, गौरी शंकर सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह और अरविंद सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह सह श्री नीरज मेहता, अभियुक्त /अपीलार्थी मोहन सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एमडी धोते ; अभियुक्त/अपीलार्थी रविरंजन सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु कोष्टा; अभियुक्त/अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह और देवमुनि बाई की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सविता तिवारी; अभियुक्त/अपीलार्थी सुरेंद्र तिवारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वीके पांडे; राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री यू.एन.एस देव सह विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री रवींद्र अग्रवाल; तथा बैंक ऑफ बड़ौदा, अंबिकापुर की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यशवंत तिवारी सह श्री अमियकांत तिवारी को सुना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इस मामले में, मुख्य अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण जिन्होंने दिनाँक 28.4.1995 को बैंक ऑफ बड़ौदा में डकैती कारित किया था, वे राज कुमार उर्फ़ शिवजी सिंह (अभि.क्र.–1), गौरी शंकर सिंह (अभि.क्र.–2), देवेंद्र कुमार सिंह (अभि.क्र.–3), अरविंद सिंह (अभि.क्र.7) और रविरंजन कुमार सिंह (अभि.क्र.–9) थे। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 120– ख, 450 और 395 सहपठित धारा 397 और आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत दंडनीय अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष किया गया है। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण राज कुमार उर्फ़ शिवजी सिंह (अभि.क्र.–1), और शंकर सिंह (अभि.क्र.–2), देवेंद्र कुमार सिंह (अभि.क्र.–3) और अरविंद सिंह (अभि.क्र.–7) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह और अभियुक्त/अपीलार्थी रविरंजन कुमार सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु कोष्टा ने निवेदन किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार

पर इन व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध स्थापित हो गए हैं और अधिकांश अभियुक्त लगभग 11 वर्षों से अभिरक्षा में हैं, इसलिए उन्हें दिये गये दंडादेश को पहले ही भुगताई गई अवधि से घटा दिया जाये, क्योंकि अपराध की प्रकृति को देखते हुए वे सामान्य रूप से ऐसे अपराध में अधिरोपित किये जाने वाले दंडादेश से अधिक दंडादेश पहले ही भुगत चुके है।

17. अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने विपिन किशोर लकड़ा (अ.सा–1) और श्रीमती ममता चक्रवर्ती (अ.सा–2) के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जो सुसंगत दिन बैंक में क्रमशः लिपिक–सह–कैशियर(रोकड़िया) और मुख्य कैशियर (रोकड़िया) के रूप में कार्यरत थे। रघुनाथ शरण बाजपेयी (अ.सा–6) बैंक में संयुक्त प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे और सुरेश कुमार अग्रवाल (अ.सा–10) शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। विपिन किशोर लकड़ा (अ.सा–1) और श्रीमती ममता चक्रवर्ती (अ.सा–2) ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनाँक 28–4–1995 को वे बैंक ऑफ बड़ौदा में कैशियर और हेड कैशियर के रूप में काम कर रहे थे। दोपहर 12.30 बजे से 12.45 बजे के बीच जब वे अपने काम में व्यस्त थे, तब एक व्यक्ति अपने हाथ में देशी पिस्तौल लेकर आया, बैंक की लाइट मेन स्विच से बंद थी, एक व्यक्ति अपने हाथ में पिस्तौल लेकर विपिन किशोर लकड़ा के कैश काउंटर की खिड़की पर आया और पिस्तौल उसकी ओर तानने के बाद उसे सीट से उठकर बाहर आने को कहा, उसने उसे धमकी भी दी कि वह तुरंत बाहर आये, अन्यथा वह उसे जान से मार देगा और वह उसे बैंक के हॉल के बीच में ले गया। वह ग्राहकों को भी बैंक के हॉल के बीच में ले गया तथा उन्हें धमकी दिया कि कोई अपने जगह से नही हिलेगा। इसके बाद वह भुगतान काउंटर की टेबल की ओर गया। एक अन्य व्यक्ति भुगतान काउंटर की ओर गया तथा उन्होंने हरे रंग के थैले में नोट भरना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति शाखा प्रबंधक सुरेश अग्रवाल के कक्ष (केबिन) में घुस गया तथा उसका कॉलर पकड़कर उसे चैंबर से बाहर ले गया तथा स्ट्रांग रूम की चाबियां मांगने लगा। जब प्रबंधक ने चाबियां होने से इंकार किया तब उस व्यक्ति ने देशी पिस्तौल के बट से प्रबंधक पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर चोट लगने से खून बहने लगा। एक डकैत मुख्य द्वार पर खड़ा था तथा उसने कहा कि दो व्यक्ति बाहर चले गए हैं, इसलिए उन्हें जल्दी यहाँ से जाना चाहिये तथा इसके बाद डकैत भाग

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

गए। इस साक्षी (अ.सा.–1) ने आगे कहा है कि दिनांक 29.04.1995 को महिला अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा शिनाख्त कार्यवाही कराया गया तथा शिनाख्त कार्यवाही पूर्ण होने के बाद शिनाख्त ज्ञापन प्रदर्श पी–1 तैयार किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी अरविंद सिंह की ओर इशारा करने के बाद, अ.सा–1 ने कहा कि वह उसके काउंटर में आया था और देवेंद्र सिंह की ओर इशारा करने के बाद उन्होंने कहा कि वह दूसरा व्यक्ति था जो टेबल पार करके काउंटर पर आया था। पिस्तौल की नोक पर हॉल के बीच में लोगों को इकट्ठा करने वाला डकैत राज कुमार सिंह था। गौरीशंकर सिंह की ओर इशारा करने के बाद, उन्होंने कहा कि यह वह डकैत था जिसने शाखा प्रबंधक सुरेश अग्रवाल पर हमला किया था। डकैत रविरंजन कुमार सिंह की ओर इशारा करने के बाद, इस गवाह ने बताया कि वह बैंक के द्वार पर खड़ा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपरोक्त साक्ष्य की संपुष्टि श्रीमती ममता चक्रवर्ती (अ.सा–2), रघुनाथ शरण बाजपेयी (अ.सा–6) और सुरेश कुमार अग्रवाल (अ.सा–10) द्वारा किया गया है। इन सभी साक्षियों ने शिनाख्त ज्ञापन प्रदर्श पी–1, जिसे अतिरिक्त तहसीलदार ने दिनांक 29–4–1995 को विद्युत मंडल के कार्यालय में शिनाख्त कार्यवाही करने के बाद तैयार किया था, को भी प्रमाणित किया है।

19. श्रीमती शकुंतला शर्मा (अ.सा–4) तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार, अंबिकापुर ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 29–4–1995 को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कार्यालय में शाम लगभग 4 बजे शिनाख्त कार्यवाही किया गया था और एस.के.अग्रवाल, आर.एस.बाजपेयी, विपिन किशोर, श्रीमती ममता चक्रवर्ती और सत्यनारायण द्वारा अभियुक्तगण की सही पहचान की गई थी।

20. चक्षुदर्शियों के उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त, इस अपराध में अभियुक्तगणों की संलिप्तता इस तथ्य से भी स्थापित होती है कि डकैती करने के बाद अभियुक्तगण घटनास्थल से भाग गए, उनका पीछा सईद हुसैन (अ.सा–5), प्रधान आरक्षक ने किया, जो संयोगवश डायरी खरीदने के लिए बैंक के पास स्थित ज्ञानोदय स्टेशनरी नामक स्टेशनरी की दुकान आये थे और उन्होने देखा कि तीन अभियुक्तगण अरविंद सिंह, राज कुमार उर्फ शिवजी सिंह और देवेंद्र सिंह, मोटरसाइकिल से भाग रहे थे। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन की आपूर्ति विभाग की जीप से उनका पीछा किया। जीप में सईद हुसैन के साथ गणेश सिंह भी थे।

जब जीप मनेन्द्रगढ़ रोड स्थित पंजाब गार्डन के पास पहुंची तब अभियुक्त डकैतों ने जीप पर गोली चला दी, जो जीप के सामने दो हेड लाइटों के बीच में लगी और उसके बाद वे महावीरपुर के कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गए। कुछ दूर जाने के बाद मोटरसाइकिल फिसल गई और वे पैदल जंगल की ओर भागने लगे। इसी बीच पुलिस अधीक्षक अशोक चौधरी भी जिप्सी पर सवार हो गये और उन्होंने भी डकैतों का पीछा किया। राधे कृष्ण गुप्ता (अ.सा–11) के साक्ष्य के अनुसार, उनकी उपस्थिति में मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी–27/5052 को प्रदर्श पी–18 के तहत कब्जे में लिया गया। कुछ देर बाद पिलखा पहाड़ी के पास डकैत रविरंजन कुमार सिंह जो डकैती की घटना के दौरान बैंक के द्वार पर खड़ा था, को पकड़ लिया गया तथा उसके कब्जे से एक दो नाली देशी पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस तथा बैंक ऑफ बड़ौदा की मुहर लगे नोटों को प्रदर्श पी–19 के तहत कब्जे में ले लिया गया तथा उसके पास से 68,000 रुपये बरामद किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. कांति प्रसाद (अ.स.–16) प्रधान आरक्षक ने भी अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 28–4–1995 को दोपहर लगभग 3.40 बजे उसने पिलखा पहाड़ी के पास राधे कृष्ण गुप्ता एवं मुकुरधारी सिंह की उपस्थिति में अभियुक्त रविरंजन सिंह को पकड़ा था तथा उसके कब्जे से एक देशी पिस्तौल 2 बैरल 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस एवं नोट प्रदर्श पी –19 द्वारा बरामद किया गया।

22. पिलखा पहाड़ी के पास अभियुक्त गौरीशंकर सिंह से 80,000/– रुपये तथा एक देशी पिस्तौल 315 बोर के साथ 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। विपिन किशोर कुजूर (अ.सा.–25), उपनिरीक्षक ने अपने साक्ष्य में बताया है कि मोटरसाइकिल को प्रदर्श पी–18 के माध्यम से कब्जे में लिया गया तथा उसके बाद शाम लगभग 5:40 बजे डकैत गौरीशंकर सिंह पकड़ा गया तथा उसके पास से प्रदर्श पी–20 के माध्यम से एक देशी पिस्तौल 315 बोर के साथ 4 जिंदा कारतूस तथा 80,000/– रुपये बरामद किया गया। राधे कृष्ण गुप्ता (अ.सा–11) ने बताया कि अभियुक्त गौरीशंकर सिंह के पास से प्रदर्श पी.–20 के माध्यम से एक देशी पिस्तौल 315 बोर के साथ 4 जिंदा कारतूस तथा 80,000/– रुपये बरामद किया गया।

23. अंबिका सिंह (अ.सा.–12) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 28–4–1995 को थाना, जयनगर के निकट निरीक्षक बी.पी. द्विवेदी द्वारा वाहनों की तलाशी लिया गया और तलाशी के दौरान शारदा ट्रैवल्स की एक मिनी बस से अभियुक्त राज कुमार सिंह को पकड़ा गया और उसके कब्जे से एक देशी पिस्तौल 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस और एक बैग जिसमें 70,000/– रूपये के नोट थे, बरामद किया गया। बी.पी. द्विवेदी (अ.सा.–18) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 28–4–1995 को रात्रि लगभग 8.35 बजे थाना जयनगर के निकट बस को रोककर तलाशी लिया गया, तलाशी के दौरान अभियुक्त राज कुमार सिंह को पकड़ा गया और 70,000 रूपये के नोट जिस पर बैंक ऑफ बड़ौदा की पर्ची (स्लिप) लगी थी, कब्जे में लिया गया और उसके बैग से एक देशी पिस्तौल 315 बोर और जिंदा कारतूस प्रदर्श पी –21 के माध्यम से बरामद किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. विपिन गुप्ता (अ.सा.–13) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 28–4–1995 को पोहा मिल के पास एक हरा बैग, एक भूरा बैग, एक ताला एवं चाबी को प्र.पी.–22 के माध्यम से कब्जे में लिया गया। डकैत देवेन्द्र सिंह को जंगल में पकड़ा गया तथा उसके पास से 70,000/– रूपये, एक देशी पिस्तौल, 5 जिन्दा कारतूस एवं 4 खाली कारतूस प्र.पी.–23 के माध्यम से बरामद किया गया। एन.पी. उपाध्याय (अ.सा.–26) पुलिस उपनिरीक्षक ने विपिन गुप्ता (अ.सा.–13) के उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि किया है तथा बताया कि देवेन्द्र सिंह को घायल अवस्था में पकड़ा गया था तथा उससे सामान बरामद किया गया था। एन.पी. उपाध्याय (अ.सा.–26) ने अपने साक्ष्य में यह भी बताया है कि मनेन्द्रगढ़ मुख्य मार्ग से 2 किलोमीटर दूर एक मोटरसाइकिल पड़ी थी, जिसे कब्जे में लिया गया, बाद में गणेश सिंह ने उन्हें बताया कि डकैत जंगल की ओर भाग गये हैं। उस समय पुलिस अधीक्षक भी वहां मौजूद थे और उन्होंने डकैतों का पीछा किया। मोटरसाइकिल, बैग, ताला और चाबी को प्रदर्श पी.–22 के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया। डकैत अरविंद सिंह को भी पकड़ लिया गया और उसके पास से एक देशी पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, 1 खाली कारतूस और 75,000 रुपये प्रदर्श पी.6 के माध्यम से बरामद किया गया। अभियुक्तगण ने उन पर भी गोलियां चलाईं और एक और घायल व्यक्ति पकड़ा गया और पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह देवेंद्र सिंह है।

25.गणेश सिंह (अ.सा.–7) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 28–4–1995 को वह केन्द्रीय सहकारी बैंक, अम्बिकापुर में पैसा जमा करने आया था, तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति देवीगंज रोड से संगम चौक की ओर भाग रहा था, उसने उसे पकड़ा, परन्तु वह भाग गया। तत्पश्चात, उन्होंने उसका पीछा किया तथा उपनिरीक्षक उपाध्याय एवं पुलिस अधीक्षक ने उसे पकड़ लिया, तथा उसके पास से एक देशी पिस्तौल, 1 खाली कारतूस, 5 जिन्दा कारतूस तथा 75,000/– रुपये बरामद किया गया।

26. इस प्रकार, उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर, डकैतों की पहचान विपिन किशोर लकड़ा (अ.सा –1), श्रीमती ममता चक्रवर्ती (अ.सा–2), रघुनाथ शरण बाजपेयी (अ.सा–6) और सुरेश कुमार अग्रवाल (अ.सा–10) द्वारा किया गया, जिन्होंने बताया है कि उन्होंने डकैती कारित किया था। इसके कुछ ही समय बाद, लूटे गए नोटों के साथ–साथ देशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी इन व्यक्तियों से बरामद किया गया। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के दृष्टान्त (क) के तहत, यह उपधारणा किया जा सकता है कि नोट जो बैंक से लूटे गये थे, कुछ ही समय बाद उनके कब्जे से बरामद किया गया था । इसलिए, न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि ये व्यक्ति ही डकैत थे जिन्होंने प्रश्नगत बैंक में डकैती कारित किया था और ये अभियुक्तगण डकैती कारित करते समय घातक हथियार लिये हुये थे और डकैती कारित करते समय उन्होंने घातक हथियारों का उपयोग किया था और शाखा प्रबंधक के साथ–साथ पुलिस अधीक्षक और उनके दल पर गोली चलाकर उन्हें चोट कारित किया था, इस प्रकार, इन पांचों अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 395 सहपठित धारा 397 के तहत अपराध स्थापित होता है। डकैती कारित करने के लिए वे सभी बैंक में प्रवेश किये और इस प्रकार उन्होंने गृह अतिचार का अपराध कारित किया। इसलिए, उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के तहत भी अपराध स्थापित होता है। ये सभी व्यक्ति बिना अनुज्ञप्ति के अग्न्यायुध लेकर चल रहे थे और उन्होंने उन अग्न्यायुधो का उपयोग भी किया। इन परिस्थितियों में, उन्हें आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत उचित रूप से दोषी ठहराया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

27. जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 120–ख के तहत दंडनीय अपराध का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 120–क आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करता है, जो परिकल्पित करता है कि "जब दो या अधिक व्यक्ति

(1) कोई अवैध कार्य अथवा

(2) कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति को आपराधिक षड़यंत्र कहलाती है:

परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड़यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. आपराधिक षड्यंत्र के तत्वों के बारे में कहा गया है कि वे (क) एक उद्देश्य जिसे पूरा किया जाना है, (ख) एक योजना जिसमें उस उद्देश्य को पूरा करने के साधन शामिल हैं, (ग) दो या दो से अधिक अभियुक्त व्यक्तियों के बीच एक सहमति या आपसी समझ जिसके द्वारा वे सहमति में निहित साधनों द्वारा या किसी भी प्रभावी साधन द्वारा उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने के लिए निश्चित रूप से प्रतिबद्ध हो जाते हैं, और (घ) उस क्षेत्राधिकार में जहां विधि के अनुसार एक प्रत्यक्ष कार्य की आवश्यकता होती है। आपराधिक षड्यंत्र का सार एक विधि विरुद्ध संयोजन है और सामान्य रूप से अपराध तब पूरा होता है जब संयोजन निर्मित होता है। षड्यंत्र को अपराध बनाने वाला विधि, साधनों के संयोजन से उत्पन्न अत्यधिक शक्ति जिससे हानि कारित किया जाता है, को रोकने के लिए बनाया गया है। सह–षड्यंत्रकारी एक–दूसरे को जो प्रोत्साहन और समर्थन देते हैं, जिससे वे ऐसे कठिन कार्य को संभव बनाते हैं, जिन्हें यदि व्यक्तिगत प्रयास पर छोड़ दिया जाता, तो असंभव होता, षड्यंत्रकारियों और दुष्प्रेरक को उचित दंड देने का आधार प्रदान करता है। जब कभी भी और जहाँ भी षड्यंत्र का कोई भी सदस्य सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने हेतु कुछ कार्य करता है, यह उसके सभी सदस्यों के लिए निरंतर और नवीनीकृत माना जाता है ।

29. धारा 120– ख के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि अपराध कारित करने वाले ने किसी अवैध कृत्य को करने या करवाने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त किया था; सहमति को आवश्यक विवक्षा द्वारा साबित किया जा सकता है। आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का आधार अपराध करने के लिए सहमति है। षड्यंत्र में केवल दो या अधिक लोगों का आशय ही नहीं होता, बल्कि दो या अधिक लोगों का विधिविरुद्ध साधनों द्वारा विधिविरुद्ध कार्य करने की सहमति भी होता है। जब तक ऐसा कार्य केवल आशय पर आधारित है, तब तक यह अभ्यारोपण योग्य नहीं है। जब दो लोग इसे क्रियान्वित करने को सहमत होते हैं, तो यह षड्यंत्र अपने आप में एक कृत्य है, और प्रत्येक पक्षकार का कृत्य वचन के विरुद्ध वचन, प्रतिकारात्मक कार्य जो लागू किया जा सकता है, यदि विधिपूर्ण है, तो आपराधिक उद्देश्य या आपराधिक साधनों के उपयोग के लिए दंडनीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. षडयंत्र का प्रत्यक्ष साक्ष्य कभी– कभी ही कभी उपलब्ध होता है। अपराध के तत्व यह हैं कि जिन व्यक्तियों पर षडयंत्र रचने का आरोप है, उनके बीच सहमति होना चाहिए और उक्त सहमति किसी विधिविरुद्ध कार्य को करने या ऐसा कार्य विधिविरुद्ध साधनों से करने के लिए होना चाहिए जो स्वयं विधिविरुद्ध न हो। इसलिए आपराधिक षडयंत्र का सार एक विधिविरुद्ध कार्य करने के लिए सहमति है और ऐसी सहमति को या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य या दोनों द्वारा साबित किया जा सकता है, और यह सामान्य अनुभव की बात है कि षडयंत्र को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य विरले ही उपलब्ध होते हैं। इसलिए, अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के बारे में निर्णय लेने हेतु घटना से पहले, और घटना कारित करने के दौरान और बाद में साबित की गई परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।

31. जैसा कि **भगवान स्वरूप लाल बिशन लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर 1965 एस.सी 682** में प्रकाशित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, कि "षड्यंत्र के अपराध और

किसी अन्य अपराध को प्रमाणित करने की विधि में कोई अंतर नहीं है, इसे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित (प्रमाणित) किया जा सकता है"।

32. किसी आम स्थान पर परिचर्चा करने की तुलना में, एकांतता और गोपनीयता, षड्यंत्र की प्रमुख विशेषताएँ हैं। षड्यंत्र के सबूत के रूप में प्रत्यक्ष साक्ष्य कभी –कभी ही उपलब्ध होते हैं, षड्यंत्र का अपराध या तो प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। वह दिनांक जिस दिन आपराधिक षड़यंत्र गठित हुआ, षड्यंत्र के गठन में भाग लेने वाले व्यक्तियों, उस उद्देश्य के बारे में, जिसे षड़यंत्र कारित करने वालो ने षड्यंत्र के उद्देश्य के रूप में अपने सामने रखा है, और जिस तरीके से षड्यंत्र के उद्देश्य को अंजाम दिया जाना है, उसके बारे में सकारात्मक साक्ष्य देना हमेशा संभव नहीं होता है, ये सभी मुख्य रूप से उपधारणा का विषय हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुरेश चंद्र बाहरी बनाम बिहार राज्य 1995 सप्ली.**(1) **एस.सी.सी 80** में प्रकाशित मामले में अभिनिर्धारित किया है–

"ऐसे मामले में जहां सहमति किसी ऐसे कार्य को पूरा करने के लिए है जो अपने आप में एक अपराध है, तब उस स्थिति में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई प्रत्यक्ष कार्य साबित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में, इस तरह के सहमति को साबित करके आपराधिक षड्यंत्र प्रमाणित (स्थापित) किया जाता है। जहां कथित षड्यंत्र धारा 120–ख सहपठित धारा 120–क की उप–धारा (2) के परंतुक में परिकल्पित गंभीर अपराध कारित करने से संबंधित है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे अपराध के लिए अभियुक्तगण के बीच सहमति मात्र ही धारा 120–ख के तहत दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त है और अभियुक्त या उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रत्यक्ष कार्य का सबूत आवश्यक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में, प्रावधानों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जो षड़यंत्र में शामिल है उसे किसी पक्ष के षड्यंत्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ प्रत्यक्ष कार्य करना चाहिए, जिसका अनिवार्य घटक षड्यंत्रकर्ताओं के बीच अपराध करने के लिए

सहमति होना है और यदि ये आवश्यकताएं और घटक स्थापित हो जाते हैं, तो यह कार्य धारा 120–ख में निहित प्रावधानों के दायरे में आयेगा ।

34. **ई.के. चन्द्रसेनन बनाम केरल राज्य, (1995) 2 एस.सी.सी 99** में प्रकाशित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि–

"षड्यंत्र की रचना खुले आम नहीं की जाती है जाते, बल्कि अपनी प्रकृति के अनुसार षड़यंत्र की योजना गुप्त रूप से बनाई जाती हैं, उन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से भी साबित किया जा सकता है, षड्यंत्र से संबंधित प्रत्यक्ष साक्ष्यों का न होना महत्वपूर्ण नहीं है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. **केहर सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1988) 3 एस.सी.सी 609** में प्रकाशित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि–

"275. सामान्य रूप से षड्यंत्र गुप्त रूप से रची जाती है और इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना कठिन हो सकता है। अभियोजन पक्ष प्रायः विभिन्न पक्षकारों के कृत्यों के साक्ष्य पर भरोसा करेगा ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि उनके द्वारा किया गया कृत्य उनके सामान्य आशय के अनुसरण में किया गया था। अभियोजन पक्ष प्रायः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी भरोसा करेगा। षड़यंत्र, निस्संदेह इस प्रकार के प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से प्रमाणित किया जा सकता है लेकिन न्यायालय को यह पूछना चाहिए कि क्या दोनों व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक ही उद्देश्य के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या वे विधिविरुद्ध उद्देश्य की खोज में एक साथ आए हैं। पहला उन्हें षड़यंत्र कर्ता नहीं बनाता है, लेकिन उत्तरवर्ती (बाद वाला) उन्हें षड़यंत्र कर्ता बनाता है। हालांकि, यह आवश्यक है कि षड़यंत्र के अपराध के लिए किसी तरह की शारीरिक सहमति की आवश्यकता हो। विवक्षित सहमति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। न ही दो व्यक्तियों की वास्तविक मिलन आवश्यक है। न ही भावों को साँझा करने के वास्तविक शब्दों को

साबित करना आवश्यक है। विधिविरुद्ध कृत्य को साझा करने वाले विचारों के आदान –प्रदान के बारे में पर्याप्त साक्ष्य हो सकते हैं।

36. जैसा कि **बिहार राज्य बनाम परमहंस यादव 1986 पटना एल.जे.आर 688 (एच.सी)** में प्रकाशित मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि षड्यंत्र को परिस्थितियों और अन्य साक्ष्यों द्वारा साबित किया जा सकता है।

37. **महाराष्ट्र राज्य बनाम सोम नाथ थापा (1996) 4 एस.सी.सी 659** में प्रकाशित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि–

"षड्यंत्र का आरोप सिद्ध करने के लिए, अवैध कृत्य या किसी अवैध साधनों द्वारा वैध कृत्य करित किये जाने का ज्ञान होना आवश्यक है। कुछ मामलों में, प्रश्नगत वस्तुओं या सेवाओं के अवैध उपयोग के आशय का अनुमान ज्ञान से ही लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित नहीं करना है कि किसी विशेष अवैध उपयोग का आशय था, जब तक कि प्रश्नगत वस्तुओं या सेवाओं का किसी भी वैध प्रायोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता। अंततः, जब अंतिम अपराध में कई क्रियाएँ शामिल हों, तो अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना आवश्यक नहीं होगा कि षड्यंत्र के आरोप को सिद्ध करने के लिए, प्रत्येक षड्यंत्रकारी को इस बात की जानकारी थी कि षड़यंत्र रचने वाला अन्य सहयोगी क्या करेगा, जब तक कि यह ज्ञात हो कि षड़यंत्र रचने वाला अन्य सहयोगी वस्तुओं या सेवाओं का अवैध उपयोग करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. **अजय अग्रवाल बनाम भारत संघ (1993)3 3 एस.सी.सी 609** में प्रकाशित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि–

"8... यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक षड्यंत्रकारी योजना के सभी विवरणों को जानता हो और न ही वह योजना के हर चरण में भागीदार हो। यह आवश्यक है कि वे षड्यंत्र की रूपरेखा या उद्देश्य से सहमत हों। षड्यंत्र की अवधारणा तीन तत्वों से युक्त होती है: (1) सहमति (2) दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनके बीच सहमति होता है; और (3) एक आपराधिक उद्देश्य, जो या तो

सहमति का अंतिम उद्देश्य हो सकता है या वह साधन या साधनों में से एक हो सकता है जिसके द्वारा उस उद्देश्य को पूरा किया जाना है। यह महत्वहीन है कि क्या यह अंतिम उद्देश्यों में पाया जाता है। सामान्य विधि में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा सबसे पहले लॉर्ड डेनमैन ने जोन्स मामले {आर. बनाम जोन्स, (1832) 4 बी और एडी 345) में बताया था कि षड्यंत्र के अभ्यारोपण में विधिविरुद्ध साधनों द्वारा कोई विधिविरुद्ध कृत्य करने के षड्यंत्र का आरोप लगाया जाना चाहिए, न्यायाधीशों की ओर से जस्टिस विलीज़ ने मुल्काही बनाम आर. (1868) एल.आर 3 एच.एल 306} में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को यह प्रश्न निर्देशित करने के दौरान इसकी विस्तृत व्याख्या किया था और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्विन बनाम लीथम (1901 एसी 495) में सर्वसम्मति से इस बात को दोहराया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

'षड्यंत्र केवल दो या दो से अधिक लोगों के आशय से ही निर्मित नहीं होता , बल्कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच किसी विधिविरुद्ध कृत्य को करने या विधिविरुद्ध साधनों द्वारा कोई वैध कृत्य करने की सहमति में भी निहित होता है। जब तक ऐसा कृत्य केवल आशय पर आधारित है, तब तक यह अभ्यारोपण योग्य नहीं है। जब दो लोग इसे प्रवर्तित करने के लिए सहमत होते हैं, तब यह अपने आप में एक कृत्य है है, और प्रत्येक पक्षकार का कृत्य, उसका वचन, यदि वह किसी आपराधिक उद्देश्य या आपराधिक साधनों के उपयोग के लिए हो, तो दंडनीय होगा।

39. **यशपाल मित्तल बनाम पंजाब राज्य (1977) 4 एस.सी.सी 540** में प्रकाशित मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि–

" सहमति, दुस्संधि या गठबंधन ही अपराध का घटक है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी षड्यंत्रकारियों को षड्यंत्र के प्रत्येक विवरण की जानकारी हो, जब तक कि वे षड्यंत्र के मुख्य उद्देश्य में सह–भागी न हों। षड्यंत्र के सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई उपकरण और तकनीकें अपनाई जा सकती हैं और क्रियाओ की एकश्रंखला के रूप में अलग अलग कृत्य हो, जिसका उद्देश्य कार्य की अंतिमता को प्राप्त करना जिसके बारे में प्रत्येक षड्यंत्रकर्ता को पता हो

और सभी की उसमे रूचि हो। उद्देश्य या प्रयोजन में समानता होनी चाहिए, परन्तु षड्यंत्रकारियों के बीच साधनों की बहुलता हो सकती है, जो कभी–कभी एक–दूसरे के लिए भी अनजान हो सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कुछ षड्यंत्रकारियों द्वारा कई अपराध किए जा सकते हैं, जो दूसरों के लिए भी अनजान हो सकते हैं। एकमात्र सुसंगत कारक यह है कि अपनाए गए सभी साधन और किए गए अवैध कार्य और कथित तौर पर षड्यंत्र के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए होने चाहिए भले ही कभी–कभी कुछ षडयंत्रकारी द्वारा चूक हो जाती है अथवा वे लक्ष्य से भटक जाते है।"

40. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने के लिए, **धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1994)2 एस.सी.सी 220** में प्रकाशित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिये–

परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें न केवल पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार स्थापित सभी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की हों और तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यात्मक नहीं किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है, साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि यह निष्कर्ष निकालने या अभियुक्त की निर्दोषिता को इंगित करने के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दर्शित करे कि सभी मानवीय संभाव्यताओं में अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि विधिक रूप से स्थापित परिस्थितियाँ, और न्यायालय का आक्रोश न केवल, दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं, अपराध जितना गंभीर होगा, साक्ष्यों का मूल्यांकन करने में उतनी ही अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि संदेह प्रमाण का स्थान न ले ले।

41. इस संबंध में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 10 भी सुसंगत है, जो यह बताती है कि–

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> "जहाँ कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड़यंत्र किया है, वहाँ उनके सामान्य आशय के बारे में उनमे से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात् जब ऐसा आशय उनमे से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही ,की या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में हर व्यक्ति के विरुद्ध जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड़यंत्र किया है षड़यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ की ऐसा कोई व्यक्ति उनका पक्षकार था।"

साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों को लागू करने के लिए,यह आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया षड्यंत्र का मामला स्थापित हो। धारा 10 तभी लागू होती है जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि यह मानने का उचित आधार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर किसी अपराध को कारित करने का षड़यंत्र किया है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति के कृत्यों को उसके सह–षड्यंत्रकारी के विरुद्ध उपयोग करने से पहले, प्रथम दृष्टया यह साक्ष्य होना चाहिए कि व्यक्ति षड्यंत्र में एक पक्षकार था। एक बार ऐसा प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हो जाने पर, वहाँ उनके सामान्य आशय के बारे में उनमे से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात् जब ऐसा आशय उनमे से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही ,की या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में हर व्यक्ति के विरुद्ध जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड़यंत्र किया है षड़यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ की ऐसा कोई व्यक्ति उनका पक्षकार था

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

42. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, यदि हम अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करें, तो इस मामले में सभी अभियुक्तगण बिहार राज्य के हैं और वे सभी एक साथ अंबिकापुर आए और माया लॉज में रुके, जिसकी पुष्टि उक्त लॉज के प्रबंधक हरिशंकर मिश्रा (अ.सा– 21) के साक्ष्य से होती है। माया लॉज की अन्य कर्मचारी पूनम केसरी (अ.सा– 9) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्तगण दिनांक 25–4–1995 से लॉज में रुके थे, उसके बाद उन्होंने

दिनांक 28–4–1995 को दोपहर लगभग 12.30 बजे बैंक में डकैती कारित किया और डकैती करने के बाद वे नोटों के साथ फरार हो गए, उसके बाद उसी दिन उन्हें पास के इलाके से करेंसी नोटों के साथ पकड़ा गया। करेंसी नोटों की बरामदगी से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 के दृष्टांत (क) के तहत यह उपधारणा किया जा सकता है कि उक्त राशि बड़ौदा बैंक में की गई डकैती की राशि थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य उपरोक्त पांचों अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के बीच षड्यंत्र के अस्तित्व को साबित करने के उद्देश्य से सुसंगत है। इसलिए, उपरोक्त साक्ष्य से, यह स्थापित होता है कि सभी पाँच अभियुक्तगण ने बैंक ऑफ बड़ौदा में डकैती कारित करने हेतु सहमत हुए और उस सहमति के अनुसरण में, अभियुक्तगण द्वारा डकैती कारित किया गया, जो एक अवैध कृत्य है। इन परिस्थितियों में, इन पांचों अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120–ख के तहत दंडनीय अपराध भी स्थापित हुआ है, भारतीय दंड संहिता की धारा 120–क के तहत कारित अपराध जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120–ख के तहत दंडनीय है, अन्य अपराधों से अलग एक स्वतंत्र अपराध है और इस प्रकार, अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 120–ख के तहत दंडित किया जा सकता है। इसलिए, हमारा मत है कि अपीलार्थीगण, राज कुमार उर्फ शिवजी सिंह (ए–1), गौरी शंकर सिंह (ए–2), देवेंद्र कुमार सिंह (ए–3), अरविंद सिंह (ए– 7) और रविरंजन कुमार सिंह (ए–9) को भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 395 सहपठित धारा 397 एवं 120–ख तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत दोषी ठहराए जाने और दंडादेश दिये जाने के विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधता और दोष नहीं है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>अभियुक्त/अपीलार्थीगण मोहन सिंह, बलिराम सिंह और संजय सिंह</u>

43. इन अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 412 और 120–ख के तहत अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष किया गया है, इसके अतिरिक्त, अभियुक्त संजय सिंह को आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष किया गया है।

44. जानकी प्रसाद (अ.सा–17) के साक्ष्य के अनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थीगण मोहन सिंह, बलिराम सिंह और संजय सिंह को दिनांक 28–4–1995 को रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच जब वे विश्रामपुर

शहर में मोहन सिंह के घर से सटे भूसी रखने वाले कमरे में शराब पी रहे थे, तब पकड़ा गया था। मोहन सिंह के पास से 20,000 रुपये प्रदर्श पी–29 के माध्यम से बरामद किया गया। संजय सिंह के पास से 55,000 रुपये, एक देशी पिस्तौल, कारतूस और हीरो मैजेस्टिक प्रदर्श पी–30 के माध्यम से बरामद किया गया। अभियुक्त बलिराम सिंह के पास 20,000 रुपये प्रदर्श पी–31 के माध्यम से बरामद किया गया। करेंसी नोटों पर बैंक ऑफ बड़ौदा की पर्ची लगी थी।

45. बी.पी. द्विवेदी (अ.सा–18), थाना प्रभारी थाना जयनगर, ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 28–4–1995 को उन्हें एक वायरलेस संदेश के माध्यम से बैंक डकैती के बारे में सूचना मिली थी और राज कुमार सिंह से जब्ती के दौरान उन्हें सूचना मिली कि कुछ डकैत विश्रामपुर की ओर भागे हैं और वे मोहन सिंह के घर में छिपे हुए हैं। इस सूचना पर, वे विश्रामपुर शहर स्थित मोहन सिंह के घर पहुंचे और पाया कि मोहन सिंह के घर से लगे कमरे जहाँ भूसी रखा जाता था, में मोहन सिंह, बलिराम सिंह और संजय सिंह शराब पी रहे थे और रात लगभग 9 बजे से 9:20 बजे के बीच करेंसी नोट, देशी पिस्तौल, कारतूस और हीरो मैजेस्टिक को कब्जे में ले लिया गया और बरामदगी पत्रक प्रदर्श पी–29, प्रदर्श–30 और प्रदर्श–31 तैयार किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

46. अभियुक्त /अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह ने तर्क दिया कि प्रथम दृष्टया, तलाशी के समय आस–पास के किसी भी स्वतंत्र गवाह को तलाशी स्थल पर नहीं ले जाया गया था और गवाह जानकी प्रसाद (अ.सा–17) उस स्थान का गवाह नहीं था जहाँ से बरामदगी की बात कही गई है, वह पुलिस का एक पॉकेट गवाह था, जिसने स्वीकार किया है कि वह पहले भी 5–6 मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में उपस्थित हो चुका है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि तलाशी लेने से पहले उपनिरीक्षक ने न तो गवाहों को अपनी तलाशी दिया और न ही उन्होंने गवाहों की तलाशी लिया। इसके अलावा, अभियुक्त बलिराम सिंह पोखरिया कोलियरी में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत एक माइनिंग सरदार हैं, वह शाम 4 बजे तक ड्यूटी पर थे और दिनांक 28–4–1995 को शाम 4.15 बजे गेट से उन्हे गिरफ्तार किया गया। इसकी पुष्टि वरिष्ठ ओवर–मैन पंचम पांडे (ब.सा–1), शॉर्ट फायरर त्रिवेणी सिंह (ब.सा–2), मैगजीन इंचार्ज शिवजी मिश्रा (ब.सा–6)

और उमाशंकर ओझा ((ब.सा–7) द्वारा किया गया है। यहाँ तक कि जानकी प्रसाद (अ.सा–17) ने भी बलिराम सिंह की पहचान नहीं किया है और वह ज़ब्ती का विवरण भी नहीं दे पाये है, इसलिए, बरामदगी स्थापित नहीं हुई है, इसलिए इन अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 412 और 120–ख, तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है।

47. दूसरी ओर, विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री यू.एन.एस. देव ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

48. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, हमने जानकी प्रसाद (अ.सा–17) और बी.पी.द्विवेदी (अ.सा–18) के साक्ष्य का अवलोकन किया है। बरामदगी के अन्य स्वतंत्र गवाह भोजराज का अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण नहीं कराया गया है। विवेचना अधिकारी बी.पी. द्विवेदी (अ.सा–18) और जब्ती के गवाह जानकी प्रसाद (अ.सा–17) के साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात, हमारी राय है कि अपीलार्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क इस कारण से उचित है कि जानकी प्रसाद ने प्रति–परीक्षण में स्वीकार किया है कि वह थाना जयनगर के पास रहता है, जो उस घर से जहाँ तलाशी लिया गया था, लगभग 2 किलोमीटर दूर है और 2 किलोमीटर की दूरी के बीच एस.ई.सी.एल कर्मचारियों के सैकड़ों घर हैं और उन घरों में लोग रहते हैं। इसके अलावा, इस गवाह ने अपने प्रति–परीक्षण के कंडिका 21 में स्वीकार किया है कि उसने पूर्व में 5–7 मामलों में पुलिस की ओर से साक्ष्य दिया है। इसलिए, इस साक्षी का साक्ष्य न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करता है क्योंकि वह ऐसा साक्षी नहीं है जो उस घर जहाँ तलाशी लिया गया था, के पास रहता था और इस संबंध में हम अपने दृष्टिकोण को **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अरुण कुमार गुप्ता ए.आई.आर 2003 एस.सी 801** में प्रकाशित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से पुष्ट करते हैं, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय के कंडिका 17 में अवधारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

49. अपने साक्ष्य के कंडिका 13 में भी जानकी प्रसाद (अ.सा–17) ने बताया है कि उसने मोहन सिंह के घर के पास वस्तु (आर्टिकल) देखा था, उस समय वस्तु (आर्टिकल) रखा हुआ था और निरीक्षक द्विवेदी उन वस्तुओं (आर्टिकल्स) को कहाँ ले गए, वह नहीं जानता। उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण से वस्तु (आर्टिकल) की बरामदगी इस साक्षी की उपस्थिति में नहीं किया गया था और वस्तु (आर्टिकल) पहले ही द्विवेदी द्वारा रखा गया था। इसलिए, यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त बलिराम सिंह, मोहन सिंह और संजय सिंह से वस्तु (आर्टिकल) बरामद किया गया था। अपने साक्ष्य के कंडिका 11 में भी जानकी प्रसाद (अ.सा–17) ने बताया है कि वह भूसी रखने वाले कमरे का माप नहीं बता सकता और उसे यह भी नहीं पता कि उस कमरे की छत किस प्रकार की थी, क्या वह वह छप्पर की थी या, टिन की चादर थी या सीमेंट की चादर थी या आर.सी.सी की छत थी और वह दरवाजों और खिड़कियों का विवरण भी नहीं बता सकता। कंडिका 14 में उसने कहा है कि वह किसी विवाद के संबंध में थाना; जयनगर में शिकायत दर्ज कराने गया था और वहाँ से थाना प्रभारी बी.पी. द्विवेदी उसे उस स्थान पर ले गये जहा पर तलाशी लेना था उसके द्वारा कोई शिकायत दर्ज़ दर्ज नहीं कराया गया और बाद में उसने बताया कि वह ग्रामीणों के साथ किसी विवाद के सिलसिले में कुछ लोगों के साथ थाना गया था। इसके अलावा, विवेचना अधिकारी बी.पी. द्विवेदी (अ.सा–18) ने स्वीकार किया है कि अभियुक्तों की तलाशी लेने से पहले उसने न तो गवाहों को अपनी तलाशी दिया था और न ही गवाहों की तलाशी लिया था। इसलिए, इस आधार पर भी तलाशी को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। जानकी प्रसाद (अ.सा–17) ने आगे बताया है कि उसने पहली बार मोहन सिंह को वहीं देखा था और वह न्यायालय में अभियुक्त बलिराम सिंह की पहचान नहीं कर पाया था ।

50. इसके अलावा, अभियुक्त बलिराम सिंह एस.ईसी.एल पोखरिया कालरी में माइनिंग सरदार के पद पर कार्यरत थे और दिनांक 28–4–1995 को शाम 4 बजे तक वे ड्यूटी पर थे। पंचम पांडे (ब.सा 1), जो वरिष्ठ ओवर–मैन के पद पर कार्यरत थे, ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 28–4–1995 को वह सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ड्यूटी पर थे। अभियुक्त बलिराम उनके अधीन कार्य करता था। उस दिन उनकी ड्यूटी शाम 4 बजे समाप्त हो गई थी। इसके बाद वे अपने घर जाने के लिए एस.ई.सी.एल वाहन

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

क्रमांक 407 में बैठे। जिस कालरी में बलिराम ड्यूटी करता था, वह विश्रामपुर से 5–6 किलोमीटर दूर बताया गया है, वे भी उसी वाहन में थे। शॉर्ट फायरर त्रिवेणी सिंह भी वाहन में थे। उसी समय पुलिस आई और बलिराम को गिरफ्तार कर लिया। शॉर्ट फायरर त्रिवेणी सिंह (ब.सा–2),ने उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि किया है और बताया है कि दिनांक 28–4–1995 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बलिराम ड्यूटी पर था। उत्तम सिन्हा (ब.सा–3), जो विश्रामपुर में एल.आई.सी एजेंट के रूप में कार्यरत थे, ने अपने साक्ष्य में बताया है कि वर्ष 1995 में, लगभग दोपहर 2 बजे से 2.30 बजे के बीच वह अपनी गाय बाँध रहे थे, उसी समय एक जीप और एक मोटरसाइकिल संजय सिंह के घर के सामने आकर रुकी। उन वाहनों में पुलिस वाले थे ,उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। प्रदीप नौटियाल (ब.सा–4) ने बलिराम सिंह के कर्तव्य प्रमाणपत्र (प्रदर्श–डी 10) को प्रमाणित किया है। शिवजी मिश्रा (ब.सा 6), जो मैगजीन प्रभारी के पद पर कार्यरत थे, ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 28–4–1995 को उन्होंने खदान विस्फोट के लिए 3 टन बारूद जारी किया था और उसी दिन उन्होंने फ्यूज भी जारी किया था और इसे रजिस्टर प्रदर्श डी–11 और डी–9 में दर्ज किया था एस.ई.सी.एल के इन कर्मचारियों के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

51. बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को अभियोजन पक्ष के समान ही समान व्यवहार और सम्मान मिलना चाहिए। बचाव पक्ष के साक्षियों के लिए भी विश्वसनीयता के मुद्दे अभियोजन पक्ष के साक्षियों के समान ही होना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमारा मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हरियाणा राज्य बनाम राम सिंह ए.आई.आर 2002 एस.सी 620** में प्रकाशित निर्णय से पुष्ट होता हैं।

52. जैसा कि ऊपर चर्चा किया गया है, जानकी प्रसाद (अ.सा.–17) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और यह उपरोक्त कंडिकाओ में उल्लिखित कारणों से यह न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करती है। बी.पी. द्विवेदी (अ.सा.–18) ने बताया है कि उन्हें एक वायरलेस संदेश प्राप्त हुआ था कि कुछ डकैत विश्रामपुर में मोहन सिंह के घर में छिपे हुए हैं। लेकिन वह वायरलेस संदेश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण, वह सूचना के स्रोत का पता नहीं लगा पाए हैं, जो तलाशी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है। इसके अलावा, यह स्वीकृत तथ्य है कि पाँच डकैतों ने बैंक में डकैती कारित किया और

वे सभी अंबिकापुर के आस–पास के इलाके में पकड़े गए और उनमे से कोई भी विश्रामपुर तक नहीं पहुँच सका। ऐसा मामला नहीं है कि अभियुक्त बलिराम सिंह, मोहन सिंह और संजय सिंह अंबिकापुर में थे और अभियुक्तगण (मूल डकैतों) के पास लूटी गई धनराशि को इन व्यक्तियों को सौंपने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अनुसार, बैंक से बाहर आने के तुरंत बाद डकैत मोटरसाइकिल से फरार हो गये । पुलिस दल ने तुरंत उनका पीछा किया, उनमें से चार को पिल्खा पहाड़ी के पास गिरफ्तार किया गया और बी.पी. द्विवेदी (अ.सा–18) ने अभियुक्त राज कुमार सिंह को उस समय गिरफ्तार किया जब वह एक बस से अंबिकापुर से मनेंद्रगढ़ जा रहा था। इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला इस पहलू पर भी संदिग्ध हो जाता है। अभियुक्तगण को डकैती से जोड़ने के लिए कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। इन परिस्थितियों में, करेंसी नोटों और पिस्तौल की बरामदगी संदिग्ध हो जाती है और यह न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करती है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 412 के तहत उनकी दोषसिद्धि और इसके अतिरिक्त, संजय सिंह की आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत दोषसिद्धि किसी भी विधिक एवं ठोस साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

53. जहां तक अभियुक्त/अपीलार्थी बलिराम सिंह, मोहन सिंह और संजय सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 120–ख के तहत डकैती कारित करने हेतु सहमति (करार) में शामिल होने के लिए दोषी ठहराए जाने का प्रश्न है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी षड्यंत्र साबित किया जा सकता है। **धनंजय चटर्जी** के मामले के अनुसार, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को जोड़ने के लिए स्पष्ट, ठोस और निर्णायक विधिक साक्ष्य होना चाहिए, जो प्रश्नगत अपराध में अभियुक्तों की संलिप्तता की ओर संकेत करे तथा उसमे अभियुक्तगण के निर्दोष होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिये। इस सिद्धांत के आधार पर, अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 120–ख के अंतर्गत आरोप को प्रमणित करने के लिए कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करके इन अभियुक्तगण को अपराध से जोड़ने में सफल नहीं रहा है।

54. इसलिए, अभियुक्त/अपीलार्थी बलिराम सिंह, मोहन सिंह और संजय सिंह की भारतीय दंड संहिता की धारा 412 और 120–ख के तहत दोषसिद्धि को बरकरार (यथावत) नहीं रखा जा सकता है ,साथ

ही अभियुक्त संजय सिंह की आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार (यथावत) नहीं रखा जा सकता है।

<u>अभियुक्त/अपीलार्थीगण सुरेन्द्र सिंह और देवमुनि बाई</u>

55. अभियुक्त/अपीलकर्ता सुरेन्द्र सिंह और देवमुनि बाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 120–ख और 412 के तहत अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष किया गया है और इसके अतिरिक्त, अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह को आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष किया गया है।

56. उपरोक्त आरोपों को प्रमाणित करने के लिए, अभियोजन ने बबलू सिंह (अ.सा–19) और हीरामणी गौतम (अ.सा–20) का परीक्षण कराया है। बबलू सिंह (अ.सा–19) के साक्ष्य के अनुसार, रात लगभग 10 बजे वह केदारपुर की ओर जा रहा था, तभी उसने भीड़ देखी और सुना कि पुलिस ने बैंक डकैतों को पकड़ लिया है, इसलिए वह सुरेंद्र सिंह के घर की ओर गया जहाँ थाना अंबिकापुर के पुलिस अधिकारी गौतम मौजूद थे। उसकी और तिवारी नामक व्यक्ति की उपस्थिति में, करेंसी नोट, एक देशी पिस्तौल और 5 कारतूस प्रदर्श पी–32 के माध्यम से कब्ज़े में लिया गया। अभियुक्त देवमुनि बाई के घर से करेंसी नोट, प्रदर्श पी–33 के माध्यम से कब्ज़े में लिया गया। अभियोजन द्वारा गवाह तिवारी का परीक्षण नहीं किया गया है। यदि हम बबलू सिंह के साक्ष्य को देखें, तो यह न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करता है क्योंकि प्रति–परीक्षण में इस गवाह ने बताया है कि जब वह वहाँ पहुँचा, तब पुलिस अधिकारी गौतम वस्तु (आर्टिकल) के साथ खड़े थे और लोग 2–4–5 कदम की दूरी पर खड़े थे। गौतम ने गवाह तिवारी को बुलाया और जब्ती की कार्यवाही प्रारम्भ किया। उसने तिवारी को घर से बाहर आते नहीं देखा और उसने पुलिस अधिकारी गौतम को भी अभियुक्त सुरेंद्र सिंह के घर से आते–जाते नहीं देखा। जब वह वहाँ पहुँचा, तब पुलिस अधिकारी गौतम पहले से ही वस्तु (आर्टिकल) हाथ में लिए गलियारे में खड़े थे। इसलिए, इस साक्ष्य के दृष्टिगत यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण की निशानदेही पर उनके घर से नोट, पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए थे। बबलू सिंह (अ.सा–19) ने कंडिका– 18 में स्पष्ट रूप से कहा है कि वस्तु (आर्टिकल)निरीक्षक गौतम के हाथ में था और वह गलियारे में खड़े थे। इस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साक्षी ने आगे कहा है कि यह सही है कि देवमुनि बाई और सुरेंद्र सिंह का घर एक ही है और उसे नहीं पता कि घर में एक ही द्वार है या अन्य द्वार भी हैं। उसने देवमुनि बाई और सुरेंद्र सिंह को पहली बार देखा था और उसे नहीं पता कि वह घर किसका है और उसमें कितने कमरे हैं। ज़ब्ती पत्रक प्र.पी–32 और प्रदर्श पी–33 में घर का विवरण नहीं दिया गया है। उसे नहीं पता कि घर में कितने लोग रहते हैं। प्र.पी–32 और प्र.पी–33 लिखते समय पुलिस अधिकारी गौतम व्यस्त थे और उन्होंने उसकी उपस्थिति में किसी से बात नहीं किया था ।

57. इसलिए, बबलू सिंह (अ.सा.–19) के उपरोक्त कमजोर साक्ष्य के दृष्टिगत यह नहीं माना जा सकता कि सुरेन्द्र सिंह से 86,700 रुपये के नोट, पिस्तौल और कारतूस और सुरेन्द्र सिंह की पत्नी देवमुनि बाई से 78,619 रुपये की करेंसी नोट की बरामदगी प्रमाणित है। हीरामणि गौतम (अ.सा.–20) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि उसने घर का विवरण, आस–पास के घरों/दुकानों का विवरण, तथा सड़क विवरण प्रदर्श पी.–32 और पी–33 में नहीं बताया था। उसने अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका–32 में स्वीकार किया है कि बरामदगी करने से पहले उन्होंने न तो अपनी तलाशी दिया था और न ही उनके द्वारा पंचों की तलाशी लिया गया था। **बिहार राज्य बनाम कपिल सिंह ए.आई.आर 1969 एस.सी 53** में प्रकाशित निर्णय के अनुसार "एक औपचारिकता जो पूरी की जानी है, वह यह है कि तलाशी लेने वाले अधिकारी को जिस परिसर की तलाशी लेना है उसमें प्रवेश करने से पहले अपनी व्यक्तिगत तलाशी देनी चाहिए और इसी तरह गवाहों की भी अन्य गवाह की उपस्थिति में तलाशी लेनी चाहिए। इस औपचारिकता का पालन नहीं किया गया और इसलिए देव सिंह के घर की तलाशी लेते समय आवश्यक औपचारिकताओं का पालन किए बिना, ईयरटॉप्स सहित कार्डबोर्ड बॉक्स की बरामदगी अत्यधिक असंभव लगती है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

58. इस मामले में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हीरामणि गौतम (अ.सा–20) ने कंडिका 37 में बताया है कि करेंसी नोटों की ज़ब्ती के समय, सुरेंद्र सिंह और देवमुनि बाई के कब्ज़े से बरामद नोटों पर किसी स्वतंत्र गवाह या उनके हस्ताक्षर नहीं लिये गये थे । इसलिए, सुरेंद्र सिंह और देवमुनि बाई से

करेंसी नोट, पिस्तौल और कारतूस की कथित बरामदगी अति अनाधिसंभाव्य है और यह न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करता है । इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पांच आरोपियों ने डकैती कारित किया और जब वे बैंक से फरार हो गये तो पुलिस ने तुरंत उनका पीछा किया, उन्हें पिलखा पहाड़ी के पास पकड़ लिया गया और एक को बस में पकड़ा गया। इसलिए, किसी भी डकैत के पास वहाँ से जाने और लूटी गई धनराशि किसी अन्य सौंपने का कोई अवसर नहीं था। इसलिए, यह तथ्य भी सुरेंद्र सिंह के घर से लूटी गई धनराशि की बरामदगी के बारे में संदेह पैदा करता है कि लूटी गई धनराशि सुरेंद्र सिंह के घर कैसे पहुँच गया, जबकि अभियुक्त डकैतों के पास उनके घर जाने और इस अभियुक्त के पास डकैतों से संपर्क करने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि डकैतों का तुरंत पीछा किया गया था और कुछ ही समय बाद उन्हें पकड़ लिया गया था। उपरोक्त के दृष्टिगत, कोई ठोस विधिक साक्ष्य नहीं है, जो सुरेंद्र सिंह और देवमुनि बाई के घर से करेंसी नोटों और पिस्तौल की बरामदगी पर विश्वास करने के लिए न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करे ।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

59. इन परिस्थितियों में, अभियुक्त/अपीलार्थीगण सुरेन्द्र सिंह और देवमुनि बाई की भारतीय दंड संहिता की धारा 412 और 120-ख के तहत दोषसिद्धि, तथा सुरेन्द्र सिंह की आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती और यह अभिखंडित किये जाने योग्य है ।

अभियुक्त/अपीलार्थी सुरेन्द्र तिवारी

60. अभियुक्त/अपीलार्थी सुरेन्द्र तिवारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख और 201 के तहत अपराध कारित करने का दोषी ठहराया गया है। इस अपराध को प्रमाणित करने के लिए, हरिशंकर मिश्रा (अ.सा-21) का परीक्षण किया गया है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में बताया है कि घटना दिनांक को वह माया लॉज में प्रबंधक के रूप में कार्यरत था और कुमारी पूनम केसरी उस लॉज में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत थीं। दिनांक 25-4-1995 को रजिस्टर आर-1 की प्रविष्टि संख्या 681 उनके हस्तलेख में है। पुलिस द्वारा उनसे रजिस्टर आर-1 और आर-3 प्र.पी-34 के माध्यम से कब्जे में

लिया गया । प्रविष्टि संख्या 681 के अनुसार, राज कुमार सिंह, जो होटल में ठहरा था, ने अपनी हस्तलेख में प्रविष्टियाँ दर्ज किया था।

61. पूनम केसरी (अ.सा.–9) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 28–4–1995 को वह माया लॉज में ड्यूटी पर थी और दिनांक 25–4–1995 को रात लगभग 8.45 बजे हरिशंकर मिश्रा की उपस्थिति में, अभियुक्त राज कुमार सिंह ने रजिस्टर आर–1 में प्रविष्टि क्रमांक 681 में प्रविष्टियाँ दर्ज़ किया था। दिनांक 28–4–1995 को लॉज छोड़ने के संबंध में भी प्रविष्टि किया गया था और उन्होंने 300/– रुपये का भुगतान करने के बाद सुबह लगभग 11.45 बजे लॉज खाली कर दिया था। कमरा नंबर 152 में राज कुमार सिंह के साथ दो और व्यक्ति ठहरे हुए थे।

62. एन.पी. उपाध्याय (अ.सा.–26) ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 29–4–1995 को उन्होंने प्रदर्श पी.–35 के माध्यम से अभियुक्त सुरेन्द्र तिवारी से पूनम लॉज का रजिस्टर जब्त किया था और यह रजिस्टर आर–2 है। एक कैश मेमो बुक भी कब्जे में लिया गया था। दोनों लॉज के रजिस्टर इसलिए जब्त किए गए क्योंकि उन्हें पता चला था कि कुछ अभियुक्त माया लॉज में और कुछ पूनम लॉज में रुके थे और दोनों रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ राज कुमार सिंह द्वारा दर्ज की गई थीं। सुरेन्द्र तिवारी से लूटी गई किसी भी वस्तु की बरामदगी नहीं हुई थी और न ही अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध है जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त सुरेन्द्र तिवारी ने डकैतों के साथ मिलकर डकैती हेतु कोई सहमति दिया था । राज कुमार सिंह द्वारा रजिस्टर में प्रविष्टि करने और अभियुक्त सुरेंद्र तिवारी के पूनम लॉज में ठहरने के आधार पर, बिना किसी अन्य साक्ष्य या सामग्री के, जो डकैती में अभियुक्त की संलिप्तता को दर्शित कर सके, इस बात का अनुमान या उपधारणा नहीं किया जा सकता कि कि अभियुक्त सुरेंद्र तिवारी का किसी भी प्रकार से डकैती से संबंध था और वह डकैती कारित करने के षडयंत्र में शामिल था या उसने डकैती करने के लिए अन्य अभियुक्तों को अपनी सहमति दिया था, क्योंकि लॉज किसी भी व्यक्ति के ठहरने के लिए था और ऐसा नहीं है कि पूनम लॉज ग्राहकों (उपभोक्ताओं) के ठहरने के लिए नहीं था और उस लॉज में केवल डकैतों को ही ठहरने की अनुमति थी। लॉज में नियमित रूप से यात्री आते और ठहरते हैं। बिना किसी पर्याप्त साक्ष्य के, कि अभियुक्त ने डकैती करने के लिए अन्य अभियुक्तों को अपनी सहमति

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दिया था, और वह षडयंत्र में शामिल था या उसके लॉज से डकैती का कोई सामान बरामद हुआ था, केवल इस आधार पर की डकैत उनके होटल में ठहरे थे ,कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

63. इसलिए, अभियुक्त को डकैती के षड़यंत्र रचने या डकैती का कोई सामान प्राप्त करने से संयोजित करने के लिए कोई विधिक और ठोस साक्ष्य नहीं है। ऐसा कोई विधिक और तर्कपूर्ण साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शित करे कि अभियुक्त ने किसी भी तरह से डकैतों को किसी भी अपराध के दंड से प्रच्छादित करने के लिए साक्ष्यों का विलोपन किया है। इन परिस्थितियों में, अभियुक्त/अपीलार्थी सुरेन्द्र तिवारी की भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख और 201 के तहत दोषसिद्धि को कायम (यथावत) नहीं रखा जा सकता है और यह अभिखंडित किये जाने योग्य है।

64. आरंभ में, अभियुक्त/अपीलार्थी राज कुमार उर्फ शिवजी सिंह, गौरी शंकर सिंह, अरविंद सिंह और देवेंद्र सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह तथा अभियुक्त/अपीलार्थी रविरंजन सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु कोष्टा ने तर्क दिया कि ये अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण दिनांक 28-4-1995 से निरोध में हैं और इस प्रकार वे पहले ही दस वर्ष और दस माह से अधिक का कारावास का दंडादेश भुगत चुके हैं और यह दंडादेश पर्याप्त है, इसलिए उन्हें पूर्व में भुगताये गये दंडादेश के आधार पर छोड़ा जा सकता है लेकिन, हमारा यह सुविचारित मत है कि सभी अभियुक्त/अपीलार्थीगण बिहार से आए थे और उन्होंने दिन दहाड़े बैंक में डकैती कारित किया था। बैंकों में डकैती न केवल देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, बल्कि ऐसी डकैती में लूटा गया सार्वजनिक धन भी अपराधियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। यह सर्वविदित है कि वर्तमान में बैंक में डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए, यह आवश्यक है कि ऐसे अपराधियों को उचित दंड दिया जाए, ताकि बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहे, क्योंकि जनता बैंक को सबसे सुरक्षित स्थान मानकर उसमें पैसा जमा करती है और यदि यह विश्वास डगमगाता है तब ऐसी स्थिति में देश की बैंकिंग प्रणाली और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसके अलावा, तर्क के दौरान, यह बताया गया कि अभियुक्त अरविंद सिंह दिनांक 9-1-1999 को उस समय अभिरक्षा से फरार हो गया जब उसे किसी आपराधिक मामले में न्यायिक कार्यवाही हेतु ले जाया जा रहा था। इसी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रकार, अभियुक्त राज कुमार उर्फ शिवजी सिंह भी दिनांक 22–1–1998 को उस समय फरार हो गया जब उसे किसी अन्य न्यायालय में पेश होने के लिए ले जाया जा रहा था। इससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल थे। इसलिए, वे किसी भी प्रकार के उदारता के हक़दार नहीं हैं। इन परिस्थितियों में, हमारा सुविचारित मत है कि न्याय के हित में यह आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण पर अधिरोपित दंडादेश यथावत रखा जाए।

65. परिणामस्वरूप,

1) अभियुक्त/अपीलार्थीगण सुरेन्द्र सिंह और संजय सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील सफल होती हैं और उन्हें स्वीकार किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120–ख और 412 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है और उन्हें उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण जमानत पर हैं, उनके जमानत बंध पत्र निरस्त किये जाते है।

2) इसी प्रकार, अभियुक्त/अपीलार्थीगण मोहन सिंह, बलिराम सिंह और देवमुनि बाई द्वारा प्रस्तुत अपील भी स्वीकार किया जाता हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 120–ख और 412 के तहत उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है और उन्हें उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। उनके जमानत बंध पत्र निरस्त किये जाते है।

3) अभियुक्त/अपीलार्थी सुरेंद्र तिवारी द्वारा प्रस्तुत अपील भी स्वीकार किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120–ख और 201 के तहत उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। और उन्हें उन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत जमानत बंध पत्र निरस्त किये जाते है।

4) हालाँकि, अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण राज कुमार उर्फ़ शिवजी सिंह, गौरी शंकर सिंह, अरविंद सिंह, देवेन्द्र सिंह तथा रविरंजन सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 395 सहपठित धारा 397 एवं 120–ख तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम (यथावत) रखा जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अभियुक्त राज कुमार उर्फ़ शिवजी सिंह और अरविंद सिंह के विरुद्ध स्थायी गिरफ़्तारी वारंट जारी करे तथा उसे पुलिस अधीक्षक, अंबिकापुर को प्रेषित करे जिससे राज कुमार उर्फ शिवजी सिंह और अरविंद सिंह को गिरफ्तार कर शेष दंडादेश भुगताया जा सके।

सही/–
(एल. सी भादू)
न्यायाधीश

सही/–
(धीरेन्द्र मिश्रा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

अनुवादकर्ता – उत्तरा श्रीवास्तव , अधिवक्ता